

निराश्रति गोवंशीय पशुओं को गोद लेने के लिये मानदेय

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तराखंड सरकार <u>निराश्रित गोवंशीय पशुओं</u> को गोद लेने वाले राज्यवासियों को एक निश्चित मानदेय देने की योजना** बना रही है।

मुख्य बदुि:

- अधिकारियों के अनुसार, लोगों को प्रतिपशु 80 रुपए दिये जाएंगे तथा विशेष मामलों में यह राशि 100 रुपए तक हो सकती है, यदि पशु अत्यधिक बीमार हो तथा उसे अतिरिकित देखभाल की आवश्यकता हो।
- उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड (Uttarakhand Animal Welfare Board- UAWB) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, राज्य
 में कुल 60 पंजीकृत गोवंश आश्रप स्थल हैं, जिनमें वर्तमान में 14,000 गोवंश हैं

नोट: गोवंशीय पशु बोस वंश का एक पालतू, फटे खुर वाला जुगाली करने वाला पशु है, जैसे- बकरी, गाय, भैंस, बाइसन, हरिण या भेड़

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/honorarium-for-adopting-destitute-bovine-animals